# न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 66/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 06.12.2023 निर्णय दिनांक : 27.03.2024

1. विनोद कुमार पुत्र निरंजन लाल जाति अहीर निवासी हुडिया खुर्द तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

प्रार्थी

बनाम

1. निरंजन लाल पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी हुडिया खुर्द तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
2. पीठासीन अधिकारी श्री पंकज बड़गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 205/2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 156/2023 बउनवानी विनोद कुमार बनाम निरंजन को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा, श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री समर सिंह यादव अप्रार्थी न0 01 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक–27.03.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 205/2023 ब उनवानी विनोद कुमार बनाम निरंजन विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री समर सिंह यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद अप्रार्थी न0 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा है जिसमें आगामी पेशी तारीख 09.10.2023 नियत की गई थी। परन्तु अप्रार्थी न्यायालय में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बिना किसी उपर्युक्त कारण के पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 06.09.2023 नियत की गई एंव तद्युपरांत आगामी तारीख पेशी 26.09.2023 व 04.10.2023 व 09.10.2023 नियत की गई यानि उपरोक्त प्रकरण में महज एक माह के अंतराल में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छ तारीख पेशी नियत की गई है। अप्रार्थी येन–केन प्रकरण बिना प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.05.2023 को निरस्त करवाने पर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आमादा हैं। प्रार्थी ने अनेको बार अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थल व निजी कार्यालय में आते–जाते देखा है तथा पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दवाब में होने से प्रार्थी को उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमाराणा व बहरोड के राजस्व न्यायलय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि स्वय प्रार्थी द्वारा दिनाक 30–05–2023 को अप्रार्थी की गैर मौजूदगी में ही एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था एवं उसके उपरान्त मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट नम्बर 156/2023 में दिनांक 04–07–2023, 03–08–2023, 9–10–2023, 20–12–2023, 03–01–2024, 08–01–2024, 10–01–2024 , 23–01–2024, 01–02–2024, 08–02–2024, 14–03–2024 नियत की गई थी। उपरोक्त अधिकांश नियत तारीखों को मान्य न्यायालय में कार्य सम्पन्न नही हो पाया एवं उक्त अधिकांश तारीखो में माननीय पीठासीन अधिकारी के मीटिंग में व्यस्त होने या अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगन किये जाने की आर्डरशीट नियत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एकपक्षीय स्थगन आदेश लेकर बैठा हुआ है जिस कारण से अप्रार्थी सख्या 1 को न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ताहाल एकपक्षीय स्थगन आदेश यथावत है। प्रार्थी ने दिनांक 30–05–2023 को ही एकपक्षीय आदेश अपने पक्ष में मान्य न्यायालय से करवा लिया था और लगभग एक साल से यह एकपक्षीय आदेश यथावत चला आ रहा है तथा प्रार्थी इस एकपक्षीय आदेश को आगे भी इसी प्रकार ले जाये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद विनोद कुमार बनाम निरंजन लाल वगै० प्रकरण संख्या 205 और स्थगन प्रार्थना पत्र सख्या 156/2023 को यथावत रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रार्थी द्वारा ही सिद्ध करने बाबत जवाब/टिप्पणी पेश किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़